उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 798/XXX(2)/08–3(1)/2008
देहरादूनः दिनांक 01 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना
प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ओर इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया विहित करने के लिए निम्नलिखित ''उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली बनाते है।

उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2008

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना–	1 (1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2008 है।
	(2)	यह तुरन्त प्रवृत होगी।
	(3)	यह नियमावली निम्नलिखित पदों और विभागों को छोड़कर सीधी भर्ती के समूह 'ग' के समस्त पदों पर लागू होगी–
	(एक)	जो उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण ओर अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों ओर प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस तथा अग्निशमन सेवाओं को सम्मिलित करते हुए पुलिस विभाग के क्षेत्रान्तर्गत हों;
	(दो)	जिनकी विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता से कम न हों;
	(तीन)	जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा इस नियमावली के लागू होने से अपवर्जित हों।
अध्यारोही प्रभाव	2	यह नियमावली, किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बार के होते हुए भी, प्रभावी होगी।
परिभाषाएं	3	इस नियमावली में, जब तक कि विषय या संदर्भ में प्रतिकूल बात न हो–
	(क)	'नियुक्ति प्राधिकारी' से संगत सेवा नियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ग) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(घ) 'राज्यपाल' से तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ड़) 'अन्य पिछड़े वर्गो से समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है।

(च) ''छंटनीशुदा कर्मचारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है–

(एक) जिसने राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन, किसी पद पर स्थायी, अस्थायी रूप में, मौलिक रूप में, कम से कम एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये निरन्तर सेवा की हो,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और

(तीन) जिसके समबन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं हेागा।

रिक्तियों का अवधाराण

4 नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या ओर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या, संगत सेवा नियमावली के अनुसार ही अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

5 (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(एक) ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन ओर अन्य रोजगार– पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके;

(3) उप–नियम (2) के अधीन रिक्तियॉ अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित

नहीं किया जायेगा।

(4)(एक) चयन के लिए 100 अंको की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। छंटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में एक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जोयगी।

(दो)(क) लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान ओर सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जोयगा।

(ख) जहॉ लिपिक वर्गीय पद से भिन्न किसी ऐसे पद पर, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता तकनीकी या अन्य प्रकार, यथा कॉमर्स, फार्मेसी, विज्ञान आदि की हो, वहॉ 100 अंको की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा सम्बन्धित पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों की होगी। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ग) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ड़) लिखित परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट WWW.ua.nic.in या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रदर्शित एवं प्रकाशित की जायेगी;

परन्तु उपबन्ध यह है कि ऐसे पद, जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हों, लिखित परीक्षा के पूर्व, अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी ओर उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी, जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

(च) किसी ऐसे पद पर, जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण या तकनीकी विषय से सम्बन्धित पद हेतु प्रयोगात्मक परीक्षा अनिवार्य

अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, यथा स्थिति, टंकण या आशुलिपिक ओर टंकण की परीक्षा अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। टंकण परीक्षा के लिए 4000 KDPH व आशुलिपिक परीक्षा के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति निर्धारित होगी। उक्त परीक्षा 50 अंको की होगी। जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेंगे। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा या तकनीकी विषय से सम्बन्धित पद हेतु प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। टंकण परीक्षा या आशुलिपि ओर टंकण परीक्षा तथा तकनीकी विषय से सम्बन्धित पद हेतु प्रयोगात्मक परीक्षा में अभ्यर्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांक व मूल्यांकनों के योग के आधार पर प्रवीणता क्रम में बुलाया जोयगा।

(छ) यदि टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी सफल होते हैं तो श्रेष्ठता सूची तैयार कर उसके, आधार पर परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।

(ज) यदि टंकण या आशुलिपि ओर टंकण परीक्षा में रिक्तियों की संख्या से कम अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उनकी नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। शेष रिक्तियों के लिए पुनः 1:4 के अनुपात में लिखित परीक्षा एवं अन्य मूल्यांकनों के आधार पर सारणीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की सूची में से टंकण या आशुलिपि ओर टंकण परीक्षा हेतु बुलाये जा चुके अभ्यर्थियों से आगे के अभ्यर्थियों को बुलाकर जा चुके अभ्यर्थियों से आगे के अभ्यर्थियों को बुलाकर टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा करायी जाय तथा उसमें सफल अभ्यर्थियों का नियमानुसार चयन किया जाय। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक न्यूनतम गति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी निर्धारित संख्या में प्राप्त न हो जाय।

(झ) यदि पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या 1:4 के अनुपात से कम हो तो ऐसी स्थिति में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए हों उन्हे टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा हेतु बुलाया जाय। इनमें से जो विहित न्यूनतम गति प्राप्त करें उन्हें अन्तिम श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित किया जाय। यदि कोई भी अभ्यर्थी न्यूनतम गति प्राप्त न कर सके व आगे भी कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो

तो ऐसी स्थिति में रिक्त पद को अग्रेनीत रखा जायेगा।

(5) लिखित परीक्षा के प्राप्तांको और अन्य मूल्यांकनों जिसमें छटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंको तथा, यथा स्थिति, टंकण परीक्षा या आशुलिपि ओर टंकण परीक्षा या तकनीकी विषय से सम्बन्धित पद हेतु प्रयोगात्मक परीक्षा के अंको का जोड़ होगा, के अंको के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर–बराबर अंक प्राप्त किये हो तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।

चयन समिति का गठन–6 सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जोयगी, जिसमें निम्नलिखित होगे :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष

(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियें या अन्य पिछड़े वर्गो से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा; सदस्य

(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गो का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़ें वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा; सदस्य

(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा; सदस्य

(पांच) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी सदस्य

टिप्पणी (क) यदि किसी जिले में किसी विभाग में एक से अधिक नियुक्ति प्राधिकारी हो तो उस विभाग हेतु सम्पूर्ण जिले के लिए एक एकल चयन समिती

गठित की जायेगीां इस हेतु जिलाधिकारी द्वारा ज्येष्ठतम नियुक्ति प्राधिकारी को चयन समिति का अध्यक्ष नामित किया जायेगा।

(ख) यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जोयंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम–निर्दिष्ट कर सकता है।

(ग) यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रकिया उस जिले में की जायेगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

(2) यदि दो या अधिक विभागों के कार्यालयों हेतु एक ही पदनाम की रिक्तियां हों तो ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा चयन एक ही लिखित परीक्षा द्वारा कराया जायेगा, इस हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत होगा :–

(एक) जिले का जिलाधिकारी –अध्यक्ष

(दो) जिले का मुख्य विकास अधिकारी –सदस्य

(तीन) जनपद के जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक अधिकारी –सदस्य

(चार) जनपद के जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग का एक अधिकारी –सदस्य

(पांच) जनपद का सेवायोजन अधिकारी –सदस्य

फीस

7 चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जोयगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जयेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक और सही उत्तरों का प्रकाशन तथा प्रदर्शन –

8 (1) जब चयन प्रकिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये अंक व टंकण तथा आशुलिपिक/टंकण परीक्षा या तकनीकी विषय से सम्बन्धित पद हेतु प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्त अंकों का कुल योग व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की वैबसाइट WWW.ua.nic.in पर जनपद के जिला कार्यालय ओर सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जोयगा।

(2) सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा, छंटनी शुदा कर्मचारी के अंकों तथा यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा या तकनीकी विषय से सम्बन्धित पद हेतु प्रयोगात्मक परीक्षा के

अंको को वर्गीकृत करते हुए) अवरोही क्रम में (Descending Order) उत्तराखण्ड की वैबसाइट WWW.ua.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

आज्ञा से,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।